Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

सुशीला देवी पुत्री रामचन्द्र पत्नी श्रवणकुमार जाति नायक निवासी हरदायलपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

बनाम

विद्यादेवी पत्नी रामचन्द्र जाति नायक निवासी साकिन रतनपुरा तहसील पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर आदि

किस्म मुकदमा:–अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण सं –10/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.04.2023	पत्रावली वास्ते पेश हुई। वकील अपीलांट श्री सुभाष बिश्नोई उपस्थित। रेस्पोंडेंट संख्या 06 की ओर से पैरोकार राज हाजिर। रेस्पोंडेंट संख्या 1 ता 5 को भेजे गये नोटिस विधिवत तामील होने तथा पर्याप्त सूचना होने के बावजूद भी आज दिनांक तक अनुपस्थित रहे है। अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित अभिलेख मंगवाकर शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।	

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट दिनांक 29.12.2017 को पटवारी हल्का से जमाबंदी लेने गये तो उक्त को उक्त आदेश की जानकारी हुई, तब बिना देरी किये अपील पेश कर दी गई। अपील जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का रेस्पोंडेंट संख्या 02 पैरोकार राज द्वारा ना तो कोई प्रति शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया तथा ना ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया। दौराने बहस भी कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 1 ता 5 के पिता रामचन्द्र पुत्र सावंताराम जाति नायक निवासी घमण्डिया के नाम से चक 2 बीएमएम के पत्थर न. 216/32 के किला न. 1 ता 25 की 6.200 है। रकबा दर्ज राजस्व रिकार्ड था। अपीलांट के पिता की मृत्यु दिनांक 25.07.1989 को हो गई। रामचन्द्र की मृत्यु के बाद अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 1 ता 5 उसके जायज वारिसान है जो ग्राम पंचायत रतनपुरा पंचायत समिति पदमपुर द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 16.11.2010 से साबित है। पटवारी हल्का ने जैर अपील भूमि का विरासतन इंतकाल संख्या 176 दर्ज करते समय कॉलम संख्या 1 ता 7 में सारी प्रविष्टियां सही दर्ज की लेकिन कॉलम संख्या 8 में अपीलांट के पिता व रेस्पोंडेंट संख्या 01 के पति व रेस्पोंडेंट संख्या 2 ता 5 का नाम भरते हुए उनके नाम के साथ पिता रामचन्द्र के स्थान पर दादा सावंतराम का नाम अंकित कर जैर अपील इंतकाल दर्ज कर दिया। उसी के आधार पर तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 18.11.2010 को इंतकाल स्वीकृत कर दिया। अतः अपील पेश कर निवेदन है जैर अपील इंतकाल संख्या 176 दिनांक 18.11.2010 निरस्त कर अपीलांट के पिता व रेस्पोंडेंट संख्या 1 के पिता व रेस्पोंडेंट संख्या 2 ता 5 के पिता का नाम सांवताराम के स्थान पर रामचन्द्र दर्ज करने के आदेश प्रदान करे।

रेस्पोंडेंट संख्या 06 पैरोकार राज ने दौराने बहस कथन किया कि इंतकाल दर्ज करते समय सहवन से अपीलांट, रेस्पोंडेंट संख्या 2 ता 5 के पिता व रेस्पोडेंट संख्या 1 के पति का नाम रामचन्द्र के स्थान पर सावंतराम अंकित हो गया है। अतः न्यायहित में उक्त दुरूस्ती की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया। जिससे पाया कि रामचन्द्र की मृत्यु दिनांक 25.07.1989 के बाद अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 1 ता 5 उसके जायज वारिसान है जो ग्राम पंचायत रतनपुरा पंचायत समिति पदमपुर द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 16.11.2010 से साबित है। जैर अपील भूमि का विरासत इंतकाल दर्ज हुआ है। परन्तु पटवारी हल्का ने उक्त इंतकाल भरते [illegible] के पति व रेस्पोंडेंट संख्या 2 ता 5 के पिता का नाम रामचन्द्र के [illegible] पर सहवन से रामचन्द्र के पिता सावंताराम का नाम अंकित कर दिया तथा उसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा उक्त इंतकाल दिनांक [illegible] 2010 को स्वीकृत कर दिया। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ द्वारा स्वीकृत इंतकाल संख्या 176 स्वीकृत दिनांक 18.11.2010 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.07.11 17:14:03 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ द्वारा स्वीकृत इंतकाल संख्या 176 स्वीकृत दिनांक 18.11.2010 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभय पक्ष को सुनवाई को समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा ग्राम पंचायत रतनपुरा पंचायत समिति पदमपुर द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 16.11.2010 की पुष्टि करते हुए तथा अपीलांट के पहचान संबंधी दस्तावेजों का भलीभांती अवलोकन करते हुए पुनः विधिसम्त निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। उभय पक्ष दिनांक 26.04.2023 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ के समक्ष उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली बाद तकमील तरतीब नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.07.11 17:14:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner